

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर,  
अटल नगर,

क्रमांक एफ 12-7/2014/20-2  
प्रति,

अटल नगर रायपुर, दिनांक 24/06/2019

संचालक,  
लोक शिक्षण,  
छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन,  
अटल नगर, रायपुर

विषय:- राज्य अंतर्गत शासकीय शालाओं में अध्यापन हेतु अतिथि शिक्षक की व्यवस्था करने के संबंध में।

—000—

राज्य शासन के निर्णय अनुसार बस्तर एवं सरगुजा संभाग में संचालित हाई/हायर सेकेण्डरी स्तर की शासकीय शालाओं के अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के 1885(संलग्न परिशिष्ट-एक) रिक्त पदों एवं माडा पॉकेट क्षेत्र अंतर्गत संचालित हाई/हायर सेकेण्डरी स्तर की शासकीय शालाओं में भी उक्त विषयों के 631(संलग्न परिशिष्ट-दो) पदों पर नियमित भर्ती होने तक अतिथि शिक्षक के माध्यम से शैक्षणिक व्यवस्था की जाए।


परिशिष्ट अनुसार रिक्त पदों पर शैक्षिक व्यवस्था दिनांक 30 जुलाई, 2019 तक पूर्ण कर ली जाए।

अतिथि शिक्षक की शैक्षिक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किए जाते हैं:-

- 1/ अतिथि शिक्षक व्यवस्था :- यह व्यवस्था शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा की जाएगी।
- 2/ विज्ञापन :- रिक्त पदों का विज्ञापन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- 3/ शैक्षणिक योग्यता :- संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि एवं बी.एड
- 4/ अतिथि शिक्षक चयन हेतु वरीयता क्रम :-
  - 4.1 सर्वप्रथम विद्यामिदान द्वारा पूर्व में सेवायें दी गई हों, तो उन्हीं विद्यामिदानों की सेवायें अतिथि शिक्षक के रूप में ली जाएँ।
  - 4.2 तत्पश्चात् अतिथि शिक्षक चयन हेतु प्राथमिकता सर्वप्रथम राजस्व जिला के आवेदकों को दी जाएगी, जिले में उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर दूसरी प्राथमिकता राजस्व निरंतर....2

संभाग को दी जाए एवं अंत में संभाग स्तर में उम्मीदवार न मिलने पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था का क्षेत्र राज्य स्तर होगा।


- 4.3 तत्पश्चात् विद्यामितान उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्य आवेदकों से प्राप्त आवेदन में स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर चयन किया जाए।
- 4.4 इनमें से किसी भी परिस्थिति में स्नातकोत्तर में समान अंक होने पर अधिक उम्र के आवेदक का चयन किया जाए।
- 5/ मानदेय :-रूपये 18,000/- (रूपये अठ्ठारह हजार मात्र) मासिक। इसका भुगतान शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा किया जाएगा।
- 6/ उपस्थिति :-संस्था प्रमुख द्वारा अतिथि शिक्षक की उपस्थिति हेतु पृथक से पंजी संधारित की जाएगी एवं मानदेय का भुगतान उक्त प्रमाणित पंजी के आधार पर ही होगा। निर्धारित कार्य दिवस में अध्यापन नहीं करने पर आनुपातिक रूप से मानदेय की कटौती की जाएगी।
- 7/ अन्य शर्त :-
- 7.1 अतिथि शिक्षक मात्र एक अंतरिम व्यवस्था है, अतः किसी प्रकार का कोई नियमानुसार नियुक्ति/पदस्थापना आदेश जारी नहीं किये जायेंगे, अपितु चयनित होने के उपरांत संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण कराने के औपचारिक निर्देश समिति के अध्यक्ष के द्वारा दिए जायेंगे।
- 7.2 शाला में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था नियमित शिक्षक के पदभार ग्रहण करने तक प्रभावी होगी।
- 7.3 अतिथि शिक्षकों की शैक्षिक व्यवस्था कभी भी शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
- 7.4 सर्वप्रथम शिक्षक विहीन हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 03 व्याख्याता के रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जाए, तत्पश्चात् एकल शिक्षकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 02 व्याख्याता के रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जाए।
- 7.5 अतिथि शिक्षकों की अध्यापन के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी सहभागिता अनिवार्य होगी, साथ ही संस्था प्रमुख के निर्देशों का भी पालन करेंगे।

  
(गौरव द्विवेदी)  
प्रमुख सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

22.6.19

//2//

क्र.	संभाग का नाम	जिला	विकासखण्ड	विषयवार रिक्त पदों की संख्या						योग
				अंग्रेजी	गणित	भौतिक	रसायन	जीव विज्ञान	वाणिज्य	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	दुर्ग संभाग	बालोद	डौण्डी	5	4	4	4	3	1	21
32		राजनांदगांव	चौकी	8	13	2	6	5	0	34
33		राजनांदगांव	मोहला	10	10	2	3	3	0	28
34		राजनांदगांव	मानपुर	10	10	2	3	3	0	28
35		राजनांदगांव	छुईखदान	0	0	0	0	1	0	1
36		कबीरधाम	बोडला	4	3	3	2	2	2	16
37			योग	37	40	13	18	17	3	128
महायोग				122	159	78	91	125	56	631

  
प्रमुख सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
24.6.19.

आवेदन का निर्धारित प्रारूप

पासपोर्ट साइज  
फोटो स्व  
हस्ताक्षरित

विषय:- अतिथि शिक्षक हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम :-.....
2. पिता का नाम :-.....
3. जन्म तिथि :-.....
4. जाति.....वर्ग.....(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें।)
5. मूल निवास स्थान का पता :-.....
6. वर्तमान निवास स्थान का पता :-.....
7. आवेदक मूलतः किस जिले का निवासी है :-.....  
( सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
8. शैक्षणिक योग्यता:-
  1. हाई स्कूल :-
  2. हायर सेकण्डरी :-
  3. स्नातक :-
  4. स्नातकोत्तर :- विषय.....श्रेणी.....प्रतिशत.....
  5. बी.एड :-
9. पूर्व में विद्या मितान के रूप में कार्यरत रहे हैं, तो कार्यरत संस्था का नाम.....  
.....पद.....विकासखण्ड.....जिला.....  
संलग्न:- समस्त शैक्षणिक अर्हता की स्व प्रमाणित प्रति

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

.....